माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/अका./2025/2350 भोपाल, दिनांक 19.02.2025

परिपत्र

विश्वविद्यालय की 35 वर्ष की गौरवशाली यात्रा में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक एवं अन्य विभागीय सहयात्री हमारे बीच नहीं है। उनकी स्मृतियां ही शेष हैं। उन सबका अप्रतिम योगदान हम सबको ज्ञात है। इसके प्रति हम सदैव नतमस्तक हैं। पुण्य स्मरण के अवसर अनुसार हम सबका दायित्व है कि हम इन महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें।

इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसे किसी भी पुण्य स्मरण प्रसंग पर संबंधित विभाग अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें और केवल दो मिनट के मौन के साथ उस दिन अपना-अपना उत्कृष्ट योगदान सुनिश्चित करें। प्रसंगवश वे अपने विभागीय प्रकाशनों में विशेष आलेख भी प्रकाशित कर सकते हैं। यही उन विभूतियों के प्रति हमारी सच्ची श्रध्दांजलि होगी।

कहीं न कहीं उन सबने अध्ययन,अध्यापन और पठन-पाठन के प्रति सदा ऐसा ही अनुशासित वातावरण अपने सक्रिय जीवन में चाहा था ताकि बौध्दिक रूप से सुसंपन्न विद्यार्थियों की नई पीढ़ी मीडिया जगत में प्रवेश के लिए यहां तैयार हो सके।

अन्य किसी औपचारिक आयोजन की आवश्यकता इस संदर्भ में नहीं है। हमें अपने समय और ऊर्जा का अधिकतम सदुपयोग शैक्षणिक परिवेश को पुष्ट करने में ही व्यय करना उचित है।

सभी विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर इसका पालन सुनिश्चित करें।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

प्रो.(डॉ.)अविनाश वाजपेयी
कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

पृष्ठांकन क्रमांक/अका./2025/ 2351 भोपाल, दिनांक 19.02.2025

प्रतिलिपि:-

1.निज सहायक, मा.कुलगुरू की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
3. डीन अकादमिक की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. समस्त परिसर प्रभारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. समस्त सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. वित्त अधिकारी को ओर सूचनार्थ।
8. वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

प्रो.(डॉ.)अविनाश वाजपेयी
कुलसचिव